न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट,फतेहपुर जिला सीकर

तारीख हुक्म	परिवादी श्रीचंद एफआईआर सं.158/2020 एफआर सं.19–2021 सीआईएस नम्बर 152–2021	नम्बर या तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
<u>02.04.2026</u>	परिवादी श्रीचंद के विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोक सिंह महला उपस्थित। बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दौराने बहस परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी नाराजगी याचिका व उसके समर्थन में परिवादी के लेखबद्ध बयानों को दोहराते हुए तर्क दिया कि परिवादी ने आरोपी दुर्जन सिंह के साथ बाईक बोट कम्पनी में 2,26,000/–रूपये का निवेश किया था, जिसकी एवज में आरोपी के खाते में 5–6 महिने तक कम्पनी ने 33,000/–रूपये किश्त जमा करवायी थी। आरोपी परिवादी के भाई को जानता था और आरोपी को दो लाख रूपये दिये थे, जो वापस मांगे तो आरोपी ने अदा नहीं किये और कुछ समय बाद अधिवक्ता के माध्यम से अक्टूबर,2020 में चैक अनादरण का नोटिस भिजवाया। आरोपी ने परिवादी के भाई के चैक का दुरूपयोग कर चैक अनादरण का मुकदमा किया है। अंत में आरोपी के विरूद्ध धारा–420, 406 भादंसं. के अपराध का प्रसंज्ञान लिए जाने की प्रार्थना की। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में नकरात्मक अंतिम प्रतिवेदन अदम वकू सिविल नेचर में परिवादी के भाई मामराज व आरोपी दुर्जनसिंह के मध्य रूपये के लेन–देन का मामला होने के आधार पर प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी व गवाह सुभाष ढाका के बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी का अवलोकन करें तो इनमें इन गवाहों के ये कथन रहे हैं कि परिवादी के भाई व आरोपी के मध्य बाईक बोट नामक कम्पनी में रूपये लगाने व इस संबंध में रूपये लेन–देन का संव्यवहार रहा है। अब जहां तक आरोपी दुर्जनसिंह द्वारा परिवादी के भाई मामराज के चैक का दुरूपयोग किये जाने के आरोप का प्रश्न है तो प्रकरण में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी के भाई को आरोपी द्वारा उसके चैक अनादरण के संबंध में नोटिस भिजवाया गया है। परिवादी के भाई के द्वारा इस संबंध में दौराने अनुसंधान व नाराजगी याचिका के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दी गई है। क्रमशः––––2	

न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट,फतेहपुर जिला सीकर

तारीख हुक्म	परिवादी श्रीचंद एफआईआर सं.158/2020 एफआर सं.19–2021 सीआईएस नम्बर 152–2021	नम्बर या तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
	2 इस कारण परिवादी के भाई मामराज द्वारा आरोपी को प्रश्नगत चैक अपनी विधिक देनदारियों की अदायगी हेतु दिया है अथवा नही, यह चैक अनादरण के प्रकरण में परिवादी के भाई मामराज की प्रतिरक्षा का बिन्दू है, जो उसी प्रकरण में देखा व तय किया जाना है। ऐसी दशा में परिवादी पक्ष व आरोपी के मध्य आपसी लेन–देन का विवाद होना प्रकट होता है। परिणामतः किसी अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना यह न्या यालय न्यायोचित नहीं पाता है। फलतः पुलिस थाना सदर फतेहपुर द्वारा प्रस्तुत एफआर संख्या–152/2021 अदम वकू सिविल नेचर में स्वीकार की जाती है। केस डायरी अभियोजन अधिकारी को लौटाई जावे। पत्रावली फैशलशुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट,फतेहपुर जिला सीकर

तारीख हुक्म	परिवादी श्रीचंद एफआईआर सं.158/2020 एफआर सं.19–2021 सीआईएस नम्बर 152–2021	नम्बर या तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई